# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

नरेन्द्र सिंह बनाम प्रहलाद सिंह आदि

किस्म मुकदमा दावा मु.नं. 118 वर्ष 2014

| दिनांक | आज्ञा - पत्र | |
|---|---|---|
| 14/5/2026 | पत्रावली पेश हुई। वकील अभ्यर्थी वकील वकील के उपस्थित होकर पत्रावली आदेशिका पर अंकन कर लिखा किया कि पक्षकार के मध्य राजीनामा होने के पश्चात पत्रावली आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः वादी के वाद को खारिज किया जावे। वकील वादी के द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वादी के द्वारा वाद खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। | पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है इसकारण पत्रावली आगे चलाना नहीं चाहते है। [illegible] Not [illegible] अभिभाषक वादी |

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner